न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0--08/2016--17

गोविन्द दयाल सिंह **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
13-2-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद गोविन्द दयाल सिंह, पिता स्व0 हृदय प्रसाद सिंह, जन वितरण प्रणाली के बिक्रेता, वार्ड सं0 01, ब्लौक--मनेर, थाना--मनेर, पटना अनुज्ञप्ति सं0 22/07(रद्द) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी--सह--अनुज्ञापन पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 02(मु0) दिनांक 04.04.2016 (अनुज्ञप्ति रद्द आदेश) के विरूद्ध Bihar Fair Price Shop-07 के धारा--15 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश--2001 के धारा--11 के अंतर्गत दिनांक 10.05.2016 को अपील आवेदन दाखिल किया गया है। वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु सुनने हेतु दिनांक 27.05.2016 को तिथि निर्धारित की गयी। दिनांक 06.05.2017 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनकर, वाद प्रतिग्रहित किया गया। दिनांक 02.02.2018' को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलकर्ता का आवेदन है कि जिस तिथि को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर जन वितरण प्रणाली का दुकान का निरीक्षण करने पहुँचे थे, उस दिन वे स्वंय दुकान पर उपस्थित थे। दुकान खुली थी एवं कार्डधारकों को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जा रही थी। उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में अन्त्योदय एवं P.H.H के खाद्यान्न की भण्डार--पंजी की छाया--प्रति समर्पित की गयी है। अपीलार्थी का कथन है कि जांच प्रतिवेदन की प्रति कारण--पृच्छा पत्र के साथ संलग्न नहीं था, जिससे बिक्रेता को नहीं मालूम है कि किन उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की गयी है। साथ हीं यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा उनकी कारण--पृच्छा पर विचार किए बिना उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। उनका कथन है कि ऐसे कई मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी नियमन पारित किए गए है। इन्हीं आधारों पर उन्होंने अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए, अनुमंडल पदाधिकारी--सह--अनुज्ञापन पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 02(मु0) दिनांक 04.04.2016 को आदेश खारिज करने का अनुरोध किया है। विशेष लोक अभियोजक, पटना का कथन है कि दिनांक 30.01.2016 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर द्वारा गोविन्द दयाल सिंह मंत्री उपभोक्ता भण्डार समिति जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अनुज्ञप्ति सं0 22/07 वार्ड नं0	

16 नगर पंचायत–मनेर के दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नांकित अनियमितताएं पायी गयी हैं :–

1. नियमित रूप से दुकान नहीं खोलना।
2. निर्धारित मात्रा से कम आपूर्ति करना
3. निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना
4. खाद्यान्न का वितरण नियमित रूप से नहीं करना

उपरोक्त बिन्दुओं के पक्ष में दुकानदार द्वारा अपने स्पष्टीकरण के उत्तर में भण्डार–पंजी एवं वितरण पंजी का छाया–प्रति संलग्न की गयी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य नहीं दिया गया। अंत में विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश–2001 की कंडिका 7(i)a,7(i)b के तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश–2011 की कंडिका 7(ii) एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 में निहित प्रावधान का उल्लघंन जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री गोविन्द दयाल सिंह, वार्ड नं0 16 नगर पंचायत, मनेर के अनुज्ञप्ति सं0 22/07 द्वारा किया गया प्रमाणित होता है। उन्होंने अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं अभिलेख पर उपलब्ध निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आरोपी को जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है। साथ हीं निम्न न्यायालय के आदेश में वर्णित आरोप specific नहीं है।

अतएव अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक 02 (मु0) दिनांक 04.04.2016 द्वारा पारित आदेश में त्रुटि परिलक्षित होती है। अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए, वाद को उन्हें प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी–सह –अनुज्ञापन पदाधिकारी, दानापुर को निदेश दिया जाता है कि वे आरोपी को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए, स्पष्टीकरण प्राप्त करें एवं पुनः सुनवाई कर नियमानुकूल आदेश पारित करें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

13/7/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

13/7/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।